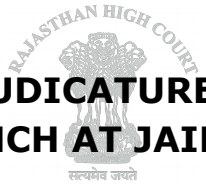




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2233/2025

Ramnarayan Gurjar S/o Bhura, Age - 33 Years, R/o Village -
Devpuri, Tehsil - Kishangarh, District - Ajmer, Rajasthan.
Through Next Friend Wife Kishani Devi

----Claimant/Appellant

Versus

1. Shivdaan S/o Gopal Lal Jat, R/o Village Bansipura, Police Station - Jobner, District - Jaipur. (Driver And Power of Attorney Holder And Agreement Owner Vehicle No. - R.J.01C 7856)
2. Ghanshayam S/o Nand Kishore Sharma, Age - 34 Years, R/o Keshiyawala, Post - Dhankiya, District - Jaipur. (Registered Owner Vehicle No. R.J. 01C 7856)
3. HDFC ERGO General Insurance Company Limited Through Branch Manager, Insurer Office, 6th Floor, Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai. (Insurance Company Vehicle No. R.J.01C 7856 of Policy No. 2319200307109500000) Policy Date 04-08-2012 To Date 03.08.2012 Till.

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. Abhishek Dadhich, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Virendra Agarwal, Adv.
Ms. Anjali Assat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

01/12/2025

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02, किशनगढ़, जिला अजमेर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-25/2021 (88/2015), रामनारायण गुर्जन बनाम शिवदान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2025 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।



2. अपीलार्थी रामनारायण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 47,97,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को कुल 1,62,858/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 07 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की मासिक आय 4,410/- रुपये निर्धारित करते हुए अत्यधिक कम क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गयी है, जबकि वक्त घटना रंगई-पुताई व भवन निर्माण का कार्य कर प्रतिमाह 10,000/- रुपये की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर पर विभिन्न भागों में चोटें कारित हुई तथा अपीलार्थी के बाएं पैर में अस्थिभंग की चोट कारित हुई, जिनके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 25 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित उक्त स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 10 प्रतिशत माना जाकर त्रुटि कारित की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में, पौष्टिक आहार की मद में व अन्य मदों में अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में व यातायात व परिवहन की मद में कोई समुचित राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये



जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."



7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 17.09.2012 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 29 वर्ष की आयु का होना बताते हुए रंगाई-पुताई व भवन निर्माण का कार्य कर प्रतिमाह 10,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी दैनिक आय 147/- रुपये प्रतिदिन, तदनुसार मासिक आय $147 \times 30 = 4,410/-$ रुपये निर्धारित की है। विद्वान अधिकरण के उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 29 वर्ष अंकित की गयी है। किन्तु अपीलार्थी के चिकित्सकीय दस्तावेजात के आधार पर विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष निर्धारित करते हुए वक्त घटना अपीलार्थी को स्वनियोजित व्यवसायी होना मानते हुए उसके आय में भविष्य होने वाली आय की बढ़ोतरी की मद में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि की जाकर अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 6,174/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की है। विद्वान अधिकरण के उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों सिर व पैर में चोटें कारित हुई तथा अपीलार्थी के बाएं पैर में अस्थिभंग की गंभीर चोट कारित हुई, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर में कुल 25 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-15 के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा न्यायिक दृष्टांत **राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य रिपोर्टेड इन (2011) 1 एससीसी 343** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को कारित 25 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 10



प्रतिशत आंका गया है। वक्त घटना अपीलार्थी को रंगाई-पुताई का कार्य करना बताया गया है, जिसके आधार पर वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। अतः अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय अपीलार्थी को कारित हुई 25 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 15 प्रतिशत आंका जाना उचित समझती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षति में 15 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता होने के आधार पर, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 15 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 6,174/- रुपये का 15 प्रतिशत 926/- रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $926 \times 12 \times 18 = 2,00,016/-$ रुपये होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र घटना के 12 वर्ष पश्चात् जारी किया गया है, जिस पर विश्वास कर विद्वान अधिकरण द्वारा त्रुटि कारित की गयी है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना दिनांक 17.09.2012 की बताई गयी है तथा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-15 दिनांक 04.03.2024 को जारी किया गया है जो घटना के लगभग 12 वर्ष पश्चात् जारी किया गया है व अपीलार्थी द्वारा 12 वर्ष तक इलाज करवाया गया हो इस संबंध में कोई चिकित्सकीय दस्तावेजात भी पत्रावली पर पेश नहीं किये गये हैं। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-15 राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। जिसमें एक वरिष्ठ चिकित्सक, अस्थि रोग विशेषज्ञ है



तथा एक न्यूरो सर्जन चिकित्सक व एक मेडिकल ज्यूरिस्ट चिकित्सक है। ऐसे में उक्त स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। इस प्रकार उक्त स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के दुर्घटना के 12 वर्ष पश्चात् जारी किये जाने का कोई विपरीत प्रभाव इस न्यायालय के मतानुसार इस मामले पर नहीं पड़ता है। अतः इस संबंध में प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से ली गयी आपत्ति अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक वेदना की मद में 20,500/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है जो कम है। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम, 25,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाल सुख-सुविधाओं की कमी के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में हम 25,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 06 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 3,600/- रुपये तथा परिचारक/सहायक की मद में 1,800/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है। उक्त मदों में दिलवाई गयी राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा पौष्टिक आहार की मद में 3,600/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई हैं जो कम प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में हम, पौष्टिक आहार की मद में 5,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गयी है। अतः यातायात व परिवहन की मद में हम, 5,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।



15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। यह स्वभाविक है कि दुर्घटना में अपीलार्थी के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब दो माह तक आय अर्जित करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम, दो माह की आय की हानि के मद में 8,820/- रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	2,00,016/- रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	25,000/- रुपये
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	25,000/- रुपये
4.	06 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	3,600/- रुपये
5.	परिचारक/सहायक की मद में	1,800/- रुपये
6.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000/- रुपये
7.	यातायात व परिवहन की मद में	5,000/- रुपये
8.	ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में	8,820/- रुपये
9.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	2,74,236/- रुपये
10.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	1,62,858/- रुपये
11.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,11,378/- रुपये

17. तदनुसार अपीलार्थी की ओर से संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या-2233/2025**, आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट जिसके द्वारा कि अपीलार्थी/क्लेमेंट को 1,62,858/- रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 2,74,236/- रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

18. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।



19. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।
20. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
21. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /61

